संख्या-31/2023/1108ई-2/तेरह-2023-1598910

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 14 जुलाई 2023

विषयः- मेसर्स राणा शुगर्स लिमिटेड, (डिस्टिलरी डिवीजन) बेलवाड़ा, जनपद मुरादाबाद में सी-हैवी शीरे 80 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट को डुअल मोड पर परिवर्तित करते हुये केवल अनाज पर आसवनी की क्षमता 80 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 120 कि.ली. प्रतिदिन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-38/दो-प्रा.डी.-157, दिनांक 07-06-2023 एवं पत्र संख्या:-जी-56/दो-प्रा.डी.-157/बेलवाड़ा, दिनांक 04-07-2023 तथा प्रकरण में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 10-07-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:1087ई-2/तेरह-2023-1598910, दिनांक 10-07-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07-06-2023 एवं 04-07-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा 17 एवं 18 तथा शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स राणा शुगर्स लिमिटेड, (डिस्टिलरी डिवीजन) बेलवाड़ा, जनपद मुरादाबाद में सी-हैवी शीरे पर स्थापित 80 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट को डुअल मोड पर चलाये जाने तथा आसवनी की क्षमता 80 कि.ली. प्रतिदिन से केवल ग्रेन से बढ़ाकर 120 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर आसवनी की क्षमता 280 लाख लीटर वार्षिक को डुअल फीड करने तथा 140 लाख लीटर वार्षिक क्षमता वृद्धि केवल ग्रेन पर करते हुये वाश से रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) इकाई द्वारा 80 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता तक शीरे/ग्रेन से अल्कोहल का निर्माण किया जायेगा तथा शेष 40 कि.ली. प्रतिदिन अल्कोहल का उत्पादन केवल ग्रेन से किया जाना अनुमन्य होगा।

(2) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा तथा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(3) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) एवं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) आसवनी में एथनॉल संचय टैंकों में राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर, जो आबकारी विभाग के पोर्टल से इन्टीग्रेट होगा, लगाया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

<u>संख्या-31/2023/1108(1)एवं तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।